

बगि टेक के एकाधिकार को चुनौती

यह एडिटरियल 13/12/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Big Tech and the need in India for ex-ante regulation" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में 'बगि टेक' कंपनियों के बाज़ार प्रभुत्व और संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारतीय एंटी-ट्रस्ट निकाय 'भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग' (Competition Commission of India- CCI) द्वारा गूगल (Google) पर एंड्रॉइड मोबाइल उपकरण पारितंत्र में अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये 1,337.76 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इस कदम ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि बगि टेक (Big Tech) कंपनियों की बाज़ार शक्ति पर देश में पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

- बगि टेक कंपनियों अपने अभिनव उत्पादों एवं सेवाओं के लिये—जो उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों को व्यापक लाभ पहुँचाती हैं, प्रतर्पित हैं। लेकिन बाज़ार एकाधिकार (Market Monopolisation) और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिये उनकी आलोचना भी की जाती है।
- इस परिदृश्य में, यह भारत के लिये उपयुक्त समय है कि वह अपने प्रतस्पर्द्धा कानून को अद्यतन करे और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रतस्पर्द्धा बाज़ार सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन लेकर आए।

बगि टेक क्या है?

- 'बगि टेक' शब्द का उपयोग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कुछ चुनदा प्रौद्योगिकी कंपनियों, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एपपल और माइक्रोसॉफ्ट के लिये किया जाता है।
- बगि टेक को कंपनियों के एक स्थिर समूह के बजाय एक अवधारणा के रूप में बेहतर समझा जाता है। नई कंपनियाँ इस श्रेणी में उसी तरह प्रवेश कर सकती हैं जैसे मौजूदा कंपनियाँ इससे बाहर हो सकती हैं।

बगि टेक कंपनियाँ भारत के डिजिटल स्पेस को कैसे रूपांतरित कर रही हैं?

- **राजस्व स्रोत:** वे फनिटेक बाज़ार में—जो राजस्व का एक आकर्षक स्रोत है (विशेष रूप से भारत में प्रतियोगिता वजिजापन राजस्व कम होने के कारण), एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
- **साक्षरता से जुड़ी बाधाओं को दूर करना:** बगि टेक कंपनियों द्वारा नये उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाने और साक्षरता से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिये वॉइस-बेसड और कर्षेत्रीय भाषा इंटरफेस की पेशकश की जा रही है।
- **अवसंरचनात्मक और रोज़गार अंतराल को दूर करना:** नये कारोबार कार्यक्षेत्र वेयरहाउसिंग, वितरण सुविधाएँ और रोज़गार अवसर प्रदान करने के रूप में मौजूदा अवसंरचनात्मक एवं रोज़गार अंतराल को दूर करते हुए भारत को अपने घरेलू बाज़ारों की बेहतर सेवा कर सकने में मदद कर रहे हैं।
- **सामाजिक और राजनीतिक प्रगत:** अधिकांश भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता सूचनाओं तक पहुँच बनाने, संवाद करने और राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में भागीदारी करने के लिये एक या एक से अधिक बगि टेक प्लेटफॉर्म पर निर्भरता रखते हैं।
 - यह अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के प्रयोग का भी लोकतंत्रीकरण कर रहा है।

बगि टेक को वनियमित करने के लिये भारत का वर्तमान दृष्टिकोण

- भारत में एंटी-ट्रस्ट विधियों को प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग सभी प्रकार के एकाधिकारवादी अभ्यासों का नियंत्रण करता है।
 - उदाहरण के लिये, भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग ने हाल ही में गूगल के 'व्यावसायिक उड़ान खोज विकल्प'—जिससे यह ऑनलाइन सर्च बाज़ार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है, पर चर्चा व्यक्त की है।
 - गूगल को वर्ष 2019 में मोबाइल एंड्रॉइड बाज़ार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपने का भी दोषी पाया गया था।
- इसके अलावा, सरकार ने प्रतस्पर्द्धा संशोधन विधियक, 2022 के माध्यम से प्रतस्पर्द्धा कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है।

भारत में बगि टेक कंपनियों से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **संवेदनशील डेटा का अप्रतर्बिधित प्रवाह:** जबकि डेटा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, हमने इसके वनियमन को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया है। इन प्लेटफॉर्मों पर संवेदनशील डेटा (वित्तीय रिकॉर्ड, फोन लोकेशन और मेडिकल हिस्ट्री आदि) का संग्रहण चर्चाजनक परिणाम दे सकता है।
 - बड़े नगिम इस डेटा को बना किसी प्रतर्बिधित के उपयोग या स्थानांतरित करने के अधिकार के स्वामित्व का दावा करते हैं।
- **इंटरनेट एकाधिकारिता (Internet Monopolisation):** बगि टेक कंपनियाँ 'उपभोक्ता नष्ठा' (Consumer Loyalty) को अर्जित करने के बजाय उसकी खरीद करने के लिये प्रतर्बिधित परधियों का अधिग्रहण कर लेती हैं। वे उपभोक्ताओं को अपने पारस्थितिकी तंत्र में अवरुद्ध करके रखते हैं और उन्हें अपने ही प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के लिये बाध्य करते हैं।
 - उनकी संयुक्त शक्ति चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है और किसी राष्ट्र के राजनीतिक रुझान को बदल सकती है।
- **वनियामक नरिवात (Regulatory Vacuum):** बगि टेक फर्मों द्वारा नवाचार और प्रगत की तेज़ गति के कारण नयामकों के पास केवल प्रतर्क्रिया दे सकने की ही सक्षमता होती है, वे इसका सामना कर सकने की तैयारी नहीं रखते। ये दगिगज प्लेटफॉर्म प्रयास करते हैं कि वे अकेले मध्यस्थ बने रहें और इसलिये उन्हें कंटेंट के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- **वविकाधीन मूल्य नरिधारण (Discretionary Pricing):** गैर-डजिटल क्षेत्र में मूल्य नरिधारण बाज़ार की शक्तियों के माध्यम से तय होता है। लेकिन डजिटल क्षेत्र नयिम प्रायः बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा तय किये जाते हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर उपभोक्ता स्वयं उत्पाद हैं।
 - बगि टेक फर्मों द्वारा गेटकीपिंग के साथ 'नेटवर्क इफेक्ट्स' (Network Effects) और 'वनिर-टेक-इट-ऑल' (Winner-takes-it-all) जैसी अवधारणाओं के संयोग से समस्या और बढ़ जाती है।

आगे की राह

- **डिजिटल मार्केटप्लेस का वनियमन:** चूँकि भारत अब डिजिटल रूपांतरण (**Digital Transformation**) के शिखर पर है, यह आवश्यक है कि आधुनिक सटार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिये देश में सबके लिये एक समान अवसर मौजूद हो।
 - वर्ष 2000 का प्रतस्पर्द्धा अधिनियम वृहत रूप से भौतिक बाज़ार को संबोधित करने के लिये अधिनियमित किया गया था। डिजिटल मार्केटप्लेस के लिये इस कानून को प्रासंगिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
 - यूरोपीय संघ ने पहले ही 'यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसिज़ एक्ट' के माध्यम से इस आवश्यकता को समझ लिया है। समय आ गया है कि भारत में भी इसी तरह के कानून को अपनाया जाए।
- **मूल्य निगरानी:** बाज़ार में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थितिको परिभाषित करने में मूल्य निर्धारण एक मौलिक भूमिका निभाता है। स्थानीय विक्रेताओं के लिये एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये मूल्य निर्धारण का एक प्रत्यूपाय या पूर्व-अनुमानित ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है।
 - सरकार का 'ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)' प्लेटफॉर्म इन छोटे खिलाड़ियों के लिये एक विश्वसनीय विकल्प है।
- **तटस्थता, अंतर-संचालनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** प्लेटफॉर्म की तटस्थता (Neutrality) को एक अनविर्य मानदंड बनाया जाना चाहिये ताकि बिगि टेक प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अन्य कारोबारों के साथ गलत तरीके से भेदभाव न कर सकें।
 - अंतर-संचालनीयता (Interoperability) उपभोक्ता की पसंद को संरक्षित करने और AI-आधारित एल्गोरिदम के भार को कम करने में मदद करेगी।
 - हानिकारक एल्गोरिदम संबंधी परवर्धन (Algorithmic Amplification) की पहचान करने, मूल्यांकन करने और उसे दंडित करने के लिये एल्गोरिदम संबंधी जवाबदेही (Algorithmic Accountability) सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **उपभोक्ताओं को 'कुशन' प्रदान करना:** उपभोक्ताओं के हित में नये उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और प्रतस्पर्द्धा कानून के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - ऐसे उपभोक्ताओं के लिये उचित मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है जो बिगि टेक कंपनियों की प्रतस्पर्द्धा-विरुद्धी अभ्यासों का खामियाजा भुगतते हैं।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** दुनिया भर की सरकारों ने उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिये कड़े कानून लागू किये हैं जहाँ टेक कंपनियों के लिये डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता हेतु कुछ बुनियादी एवं आवश्यक उपायों का पालन करना अनविर्य बनाया गया है।
 - इस संदर्भ में, सभी डिजिटल मार्केट खिलाड़ियों के लिये समरूपित डेटा सुरक्षा मानदंड तैयार किये जाने चाहिये जो सीमा पार प्रवाह की निगरानी भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के बाहर डेटा का हस्तांतरण घरेलू नवाचार, कानून प्रवर्तन या अन्य सेवाओं को बाधित नहीं करता हो।

अभ्यास प्रश्न: “बगि टेक कंपनियों ने भारत के डजिटल स्पेस में क्रांति ला दी है, लेकिन इसने डजिटल मार्केटप्लेस पर एकाधिकार भी कर लिया है।” टपिपणी कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????? ?????:

भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/वशिेषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु होने की दशा में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/14-12-2022/print>

